अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 1409/2025

संग्रामपुर थाना कांड सं0 184/2024

राकेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य।

09.03.2026 आवेदक **राकेश कुमार सिंह** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुबग्या नीति के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 में प्रमाणपत्र दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।**

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक अशोक कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि राकेश कुमार सिंह (आवेदक) ने सूचक को दो एकड़ जमीन दिलवाने के नाम पर सूचक से विभिन्न तिथियों में कुल चौदह लाख रुपए लिया, जो राकेश कुमार सिंह एवं उसकी पत्नी शुभरा कुमारी के बैंक खाता सं0 00160100010753 जो बैंक ऑफ बड़ौदा रामगढ़ का है, में स्थानातंरित किया। दिनांक 02.04.2018 से लेकर 16.10.2018 तक उक्त राशि को विभिन्न तिथियों में दिया गया है। राकेश कुमार सिंह सेंट्रल कोल इंडिया गिद्दी में कर्मचारी है। उक्त राशि लेने के बाद राकेश कुमार सिंह बहाना बनाने लगे। सूचक ने राकेश कुमार सिंह की शिकायत उसके ससुर से की, तब राकेश कुमार सिंह ने सूचक को फोन कर धमकी दी कि रुपया नहीं देंगे तथा गाली गलौज किया। सूचक ने उक्त के संबंध में राकेश कुमार की पुत्री और पत्नी के मोबाइल पर भी कई बार बातचीत की। राकेश कुमार सिंह ने सूचक के पड़ोसी श्रवण कुमार सिंह को माध्यम बनाकर सूचक को विश्वास में लेकर जमीन दिलाने के नाम पर चौदह लाख रुपए ठग लिया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 420, 506, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। सूचक ने आवेदक से कुछ पैसे लिये थे, जो आवेदक ने वापस कर दिए थे। आवेदक पर धारा 420 भा0द0वि0 का आरोप नहीं बनता है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया गया। सूचक भी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है। सूचक एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना।

लगातार

09.03.2026. मांगा गया विचारण न्यायालय अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख अवलोकन से पाता हूँ कि प्राथमिकी के अनुसार, इस आवेदक पर सूचक के जमीन दिलाने के नाम पर चौदह लाख रुपए हड़प करने का आरोप लगाया गया है। जमानत आवेदन के सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में पैसा वापस करने को लेकर सहमति बनी तथा यह तय हुआ कि आवेदक किस्तों में अप्रैल 2026 तक सूचक का सारा बकाया रकम लौटा देगा। आज न्यायालय में दोनों पक्ष सदेह उपस्थित है। साथ ही आवेदक की तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल किया गया कि माह मार्च में कुल 25,000/– रुपए तथा शेष राशि 9,75,000/– रुपए माह अप्रैल 2026 में देने की बात कही है। उपरोक्त शपथ पत्र की बातों से सूचक संतुष्ट है तथा इस शर्त पर आवेदक को जमानत देने में आपत्ति नहीं करते हैं।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों तथा शपथ पत्र में दर्ज शर्तों के आलोक में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **राकेश कुमार सिंह** के तरफ से **दस हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा **आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तार होने की स्थिति में** विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक का एक जमानतदार स्थानीय होगे।**
2. **आवेदक द्वारा दाखिल शपथ पत्र में लिखित शर्त के आधार पर यदि आवेदक उक्त शर्त का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक का बंधपत्र खंडित कर सकती है।**
3. **आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते समय सूचक को शपथ पत्र में वर्णित मार्च 2026 माह का 25,000/– रुपए का किस्त भुगतान करेंगे एवं तभी विद्वान न्यायालय द्वारा उनका बंधपत्र स्वीकार किया जा सकेगा।**

लेखापित
Sd/-
(प्रवाल दत्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 09.03.2026.

प्रतिलिपिः– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतुर्थ, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

(प्रवाल दत्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 09.03.2026.